



लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी के. के. शर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या / 122 / 2020 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांक:- 07.12.2020
GCMS NO:- 2020/00382

श्री गिरधारी लाल पिता नाहरूदास वैष्णव निवासी कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़
बनाम
लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़



प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005




निर्णय

दिनांक 29.12.2020

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 30.10.2020 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 122/2020/(29.12)/737 दिनांक 07.12.2020 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 29.12.2020 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 29.12.2020 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।


लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)




प्रकरण संख्या 122/2020 (सू.अ.)
श्री गिरधारी लाल वैष्णव निवासी कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखा कि उसे वांछित सूचना आदिनांक तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। नामान्तरण/इन्तकाल खोले जाने संबंधी न तो किसी प्रकार के नियम/उपनियम का हवाला दिया और न ही प्रक्रियाओं संबंधी सूचना उपलब्ध कराई गई जो कि संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी। अतः वांछित सूचना दिलाई जाने हेतु संबंधित अधिकारी को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/527 दिनांक 16.12.2020 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैं:-

1. यह कि प्रार्थी श्री गिरधारी लाल वैष्णव पिता स्व. नाहरूदास वैष्णव निवासी कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 30.10.2020 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 03.11.2020 को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से वांछित सूचना के बिन्दु संख्या 1 से 4 तक के समस्त तथ्य प्रश्नात्मक है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के परिपत्र क्रमांक/प-3(22)प्रसू/सूअसप्र/06 दिनांक 02.02.2009 के तहत यह व्यवस्था प्रदान की है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के तहत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है। इस संबंध में प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/2661 दिनांक 06.11.2020 से अवगत कराया गया है। (पत्र की प्रति संलग्न है।)




लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)



प्रकरण संख्या 122/2020 (सू.अ.)
श्री गिरधारी लाल वैष्णव निवासी कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

3. यह कि प्रार्थी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के बिन्दु संख्या 05 के संबंध में सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/2661 दिनांक 06.11.2020 एवं दिनांक 15.12.2020 से सूचना चाही गई है, जो आदिनांक तक अपेक्षित है एवं यथाशीघ्र प्राप्त कर प्रार्थी को उपलब्ध करा दी जायेगी। (पत्रों की छायाप्रतियां संलग्न है।)
4. यह कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में अवगत कराये जाने से अब इस प्रकरण पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।
- हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/527 दिनांक 16.12.2020 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। चूंकि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक/प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 अनुसार "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।" जिससे अपीलार्थी को, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/2661 दिनांक 06.11.2020 से सूचित किया जा चुका है।



लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)





प्रकरण संख्या 122/2020 (सू.अ.)
श्री गिरधारी लाल वैष्णव निवासी कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

किन्तु बिन्दु संख्या 5 की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा सकती है तथा अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 5 की सूचना उपलब्ध कराने हेतु लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा 30 दिवस की अवधि के अतिरिक्त समय चाहा गया है।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 15 दिवस में बिन्दु संख्या 5 में वांछित सूचनाएं निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।



(के. के. शर्मा)

लोक सूचना अपीलार्थी
लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक:- 29 / 12 / 2020

प्रतिलिपि:-

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री गिरधारी लाल वैष्णव पिता नाहरूदास वैष्णव निवासी बी-12 ए हाऊसिंग बोर्ड चौराहा, कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलार्थी
लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)